

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

:- सार्वजनिक नीलामी सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए) जनपद न्यायालय परिसर के भीतर निम्नलिखित दुकानों के ठेकों की नीलामी दिनांक 23.03.2019 को अपराह्न 2:00 बजे मीटिंग हाल जनपद न्यायालय गोण्डा में श्री राम प्रताप सिंह, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफो टी० सी० प्रथम गोण्डा, आधिकारी नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी।

नीलामी की कार्यवाही की सामान्य शर्तें निम्नलिखित होंगी:-

1. प्रत्येक बोली बोलने वाले को अनिवार्य होगा कि वह अपने बोली पर रिथर रहे तथा अपने बोलों के अनुरूप अपने-अपने हैसियत प्रमाण पत्र सम्बन्धित तहसीलदार से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करे । यह प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
2. बोली बोलने के पूर्व उसे चाय नमकीन, फोटो/फोटो स्टेट की दूकान, साइकिल स्टैण्ड (टोपहिया वाहन) के लिए बीस हजार रुपयें तथा अन्य दूकान के लिए दस हजार रुपये जमानत के रूप में अग्रिम जमा करना होगा । बिना अग्रिम धनराशि जमा किये हुए कोई व्यक्ति बोली बोलने का पात्र नहीं होगा । चाहे वह हैसियत प्रमाण पत्र ही क्यों न प्रस्तुत करे ।
3. चाय नमकीन की दुकान के ठेकेदार खाद्य पदार्थों में किसी ऐसे पदार्थ का प्रयोग नहीं करेगा जो रखाश्य के लिए हानिकारक हो ।
4. बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होने की दशा में उसकी बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होने के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा । अन्तिम बोली स्वीकार होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को 100 रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध भी करना होगा । यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत बोली का 25 प्रतिशत धनराशि ठेकेदार द्वारा स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर जमा नहीं की जायेगी तो जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और बोली पुनः कराई जायेगी ।
5. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय गोण्डा को होगा । बिना बोली बोलने वाला व्यक्ति कारण जानने का पात्र नहीं होगा ।
6. प्रत्येक बोली बोलने वाला व्यक्ति जिसकी बोली अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी वह अपनी दूकान जनपद न्यायालय परिसर की सीमा के अन्तर्गत निर्दिष्ट रथान पर लगायेगा । किसी ठेकेदार को स्वीकृत दूकान के अतिरिक्त अन्य दूकान खोलने का कोई अधिकार नहीं होगा तथा अपनी दूकान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उसका संघर्ष का होगा ।
7. स्वीकृत दूकान पर दूकानदार स्थंय बैठकर दूकान का संचालन करेगा । यदि दूकानदार अपनी दूकान अन्य व्यक्ति से संचालित कराता है तो उसे उस व्यक्ति के नियुक्ति के उपरान्त उससे दूकान संचालित कराये जाने के पूर्व उसका नाम पता कार्यालय में अवगत कराना आवश्यक होगा । इस सम्बन्ध में चाय नमकीन आदि की दुकानों की बिक्री करने वाले कर्मचारियों को रखाश्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा ।
8. कोई ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति जनपद न्यायालय परिसर में कार्यदिवस में प्रातः 9:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक ही न्यायालय परिसर में रहकर अपनी दुकान का संचालन कर सकता है । सायं 7:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक किसी भी रिथर्ति में वह न्यायालय परिसर में नहीं रुकेगा ।
9. जनपद न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश महोदय के पूर्व अनुमति के बिना कोई ठेकेदार अधिकृत व्यक्ति किसी प्रकार की कोई दूकान नहीं लगायेगा ।
10. जिस व्यक्ति के जिसे पूर्व से नीलामी का धनराशि बकाया होगा उसको बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
11. चाय नमकीन की दुकान पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, प्रमाणी अधिकारी नजारत अथवा केन्द्रीय नाजिर द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी समय-समय पर खाद्य सामग्री का परीक्षण कर सकेंगे । विपरीत परिस्थितियोंवश ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकता है ।
12. किसी भी तरह के विवाद का क्षेत्र जनपद न्यायालय गोण्डा होगा ।

Parishar Deptt
19.03.2019
(रविशंकर गुप्ता)
सदस्य, नीलामी समिति,
सिविल जज (सी०डि०)/
एफो टी० सी० नवीन
गोण्डा ।

Parishar Deptt
19
(रविशंकर सिंह)
सदस्य, नीलामी समिति,
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
गोण्डा ।

Parishar Deptt
14-3-19
(आर०पी० सिंह), 14-3-19
आमंक, नीलामी समिति,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
एफो टी० सी०, कक्ष सं०-१, गोण्डा ।

दुकानों का विवरण

नीलामी का दिनांक 23-03-2019

1. चाय नमकीन दुकान नं०-१ मेन ब्लाक के दाहिने तरफ दक्षिण पूर्व कोने पर गेट के पास ।
2. चाय नमकीन दुकान नं०-२ मेन ब्लाक के पीछे ।
3. चाय नमकीन दुकान नं०-३ दसकक्षीय न्यायालय भवन के सामने ।
4. दुकान नं०-१ कैटीन संख्या-१ के बगल ।
5. दुकान नं०-२ कैटीन संख्या-२ के बगल ।
6. दुकान नं०-३ कैटीन संख्या-३ के बगल ।
7. फोटो/फोटोस्टेट दुकान मेन ब्लाक के पीछे ।

कार्यालय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, गोण्डा ।

नीलामी दिनांक 23-03-2019

संख्या / नाजिर दिनांक 03-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थं एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्पा हेतु ।
2. जिलाधिकारी, गोण्डा ।
3. पुलिस अधीकारी, गोण्डा ।
4. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा ।
5. नगर पालिका परिषद, गोण्डा ।
6. जिला परिषद, गोण्डा ।
7. नोडल ऑफिसर कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

Parishar Deptt
14-3-19
केन्द्रीय नाजिर,
जनपद न्यायालय, गोण्डा ।